न्यायालय श्री दिनेश कुमार, न्या0 दण्डा0, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर।

जी0आर0नं0:—25/2020

विचारण संख्या—1921/2021
उपहारा थाना कांड संख्या :—04/2020

23.02.2022 आवेदकगण सुजीत कुमार एवं अजित कुमार उर्फ अमित कुमार की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, तत्पश्चात् आवेदकगण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते है । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदा0 को दी गई।

वाद पुकार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदकगण निर्दोष है । आवेदकगण की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया गया है । उक्त वाद में संज्ञान ली गई सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है । आवेदकगण को जैसे ही वाद की जानकारी मिली आवेदकगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित है । अतः आवेदकगण को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त आवेदकगण के विरूद्ध धारा 435, 427 एवं 504/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है । उपरोक्त सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है । आवेदकगण समन के उपरांत स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किये है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह विचारण का सामना करेंगे । अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदकगण/अभियुक्तगण को मो0—7000X2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।